

आयकर से राहत पाने के इच्छुक जमाकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं

योजना	ब्याज देय, दर अवधि इत्यादि	निवेश और मूल्यवर्ग की सीमा	आयकर सुविधा सहित प्रमुख विशेषताएं
1. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	9: प्रतिवर्ष की दर से ब्याज जमा की गई राशि की तिथि से 31मार्च/30 जून/30 सितम्बर 31 दिसम्बर तक जैसी भी अवधि हो, को देय होगा और तत्पश्चात ब्याज 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर एवं 31 दिसम्बर को संदेय होगा।	रु0 1,000/- के गुणकों में अधिकतम रु0 15.00 लाख तक जमा किया जा सकता है।	जमा राशि आयकर की धारा 80-सी के अन्तर्गत कर योग्य आय में से कटौती के योग्य होगी। कोई भी व्यक्ति खाता खोलने की तिथि के समय 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूर्ण कर चुका हो या कोई भी व्यक्ति जो स्वेच्छिक सेवानिवृत्त योजना/विशेष सेवानिवृत्त योजना के तहत सेवा निवृत्त हो चुका हो और उसकी आयु 55 वर्ष या अधिक परन्तु 60 वर्ष से कम हो, खाता खोल सकता है। सेना सेवा से सेवानिवृत्त कर्मी (सिविलियन डिफेंस कर्मियों को छोड़कर) बिना किसी आयु सीमा के इस योजना में अंशदान कर सकते हैं बशर्ते अन्य निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो। जमाकर्ता वयवित्तगत अथवा पति-पत्नी संयुक्त रूप से भी खाता खोल सकते हैं। खाते में जमा रु0 1000/- के गुणकों में और अधिकतम जमा रु0 15 लाख तक किया जा सकता है। खाता खोलने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के बाद खाता बन्द किया जा सकता है। जमाकर्ता खाते को अगले 3 वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा सकता है।
2. किसान विकास पत्र	धन 8 वर्ष 7 मास में दुगुना । निम्नलिखित सारणी के अनुसार समय पूर्व भुनाने की सुविधा उपलब्ध है :- रु0 1000/- के : 2) साल बाद रु0 1170. 51 3 साल बाद रु0 1207.95 3) साल बाद रु0 1267.19 4 साल बाद रु0 1310.80 4) साल बाद रु0 1355.90 5 साल बाद रु0 1435.63 5) साल बाद रु0 1488. 49 6 साल बाद रु0 1543.30 6) साल बाद रु0 1649.13 7 साल बाद रु0 1713.82 7) साल बाद रु0 1781.06 8 साल 7 माह से पूर्व रु0 1850. 93	अधिकतम सीमा नहीं रु0 100/-, रु0 500/-, रु0 1000/-, रु0 5000/- व रु0 10000/- के अंकित मूल्य वर्ग में सभी डाकघरों में एवं रु0 50,000/- के प्रधान डाकघरों में मिलते हैं।	किसान विकास पत्र किसी भी व्यस्क द्वारा स्वयं में लिए या अवयस्क की ओर से, या किसी अवयस्क को जारी किए जा सकते हैं।
3. डाकघर मासिक आय खाता	8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से। 8 दिसम्बर, 2007 को या उसके पश्चात् खोले गए खाते में जमा राशि पर 5 प्रतिशत के बराबर बोनस दिया जाएगा।	रु0 1,500/- के गुणकों में, अधिकतम रु0 4.5 लाख एकल खाते में, रु0 9 लाख संयुक्त खाते में।	योजना 6 वर्ष की है। यदि खाता खुलने के तीन वर्ष या उससे पहले बन्द किया जाता है तो जमा के 2 प्रतिशत के रकम के बराबर कटौती की जाएगी। यदि खाता 3 वर्ष की समाप्ति के पश्चात बन्द किया जाता है तो जमा के एक प्रतिशत के बराबर कटौती की जाएगी।
4. 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि खाता	ब्याज दर 8 प्रतिशत वार्षिक आधार पर गणनीय।	न्यूनतम रु0 500/- और अधिकतम रु0 70,000/- एक वित्तीय वर्ष में। राशि एक मुश्त या 12	जमा राशि आयकर की धारा 80 सी के अन्तर्गत कर योग्य आय में से कटौती के योग्य होगी। ब्याज पूर्णतः कर मुक्त है। खाता खोलने के 7वें वित्तीय वर्ष से प्रत्येक वर्ष में खाते से रकम निकाल सकते हैं। वित्तीय वर्ष 3 से ऋण लेने की सुविधा है।

		किश्तों में जमा कर सकते हैं ।	खाते को किसी भी न्यायालय द्वारा कुर्क नहीं किया जा सकता है ।
5. डाकघर सावधि जमा खाता	ब्याज गणना त्रैमासिक आधार पर किन्तु ब्याज प्रति वर्ष दिया जाता है । <u>अवधि</u> <u>दर</u> 1 वर्षीय खाता 6.25 प्रतिशत 2 वर्षीय खाता 6.50 प्रतिशत 3 वर्षीय खाता 7.25 प्रतिशत 5 वर्षीय खाता 7.50 प्रतिशत	न्यूनतम ₹0 200/- अधिकतम कोई सीमा नहीं ।	कोई भी व्यक्ति खाता खोल सकता है 2, 3 औ 5 साल के खाते एक साल बाद कटौती पर बन्द कर दिए जा सकते हैं । छः मास बाद परन्तु एक साल से पूर्व बिना ब्याज के खाता बन्द किया जा सकता है ।
6. पांच वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता (आर0डी0 खाता)	पांच वर्ष के बाद ₹0 10/- के खाते में ₹0 728.90 मिलते हैं । खाते में पांच साल बाद प्रतिवर्ष के लिए 5 साल तक रकम जमा की जा सकती है । खाता वार्षिक आधार पर अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है	न्यूनतम ₹0 10/- प्रति माह या ₹0 5/- के गुणकों में खाता खोल सकते हैं । अधिकतम सीमा नहीं ।	जमा राशि आयकर की धारा 80-सी के अन्तर्गत कर योग्य आय में से कटौती के योग्य होगी । एक साल बाद खाते में जमा राशि की 50 प्रतिशत रकम सिर्फ एक बार निकाली जा सकती है । ₹0 50/- तक के खातों पर परिपक्वता पर मिलने वाली रकम संरक्षित बचत योजना के अनुसार समय से पूर्व खातेदार की मृत्यु होने पर भुगतान नियमों के अधीन दी जाती है । 6 महीने और 12 महीने के लिए अग्रिम जमा धन पर निर्धारित छूट मिलती है ।
7. डाकघर बचत खाता	व्यक्तिगत, संयुक्त खातों पर 3.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज ।	न्यूनतम ₹0 50/- व्यक्तिगत खाते में अधिकतम सीमा 1,00,000/- ₹0 और संयुक्त खाते में ₹0 2,00,000/-.	चैक की सुविधा मिलती है । ब्याज आयकर से पूर्णतया मुक्त है ।
8. राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवां निर्गम)	चक्रवृद्धि ब्याज छः माही के हिसाब से परिपक्वता पर देय है । ₹0 100/- के ₹0 160.10 होते हैं । ₹0 100/- निर्गम जमा राशि पर वार्षिक ब्याज अन्य मूल्य वर्गों के अनुपात में निम्न प्रकार से है :- पहला वर्ष ₹0 8.16 दूसरा वर्ष ₹0 8.83 तीसरा वर्ष ₹0 9.55 चौथा वर्ष ₹0 10.33 पांचवां वर्ष ₹0 11.17 छठा वर्ष ₹0 12.08 छः वर्षों के बाद भुनाया जा सकता है ।	न्यूनतम ₹0 100/- अधिकतम सीमा नहीं है । ₹0 100/-, ₹0 500/-, ₹0 1000/-, ₹0 5000/- और ₹0 10,000/- के मूल्यवर्ग में उपलब्ध ।	राष्ट्रीय बचत पत्र निम्नलिखित द्वारा खरीदे जा सकते हैं :- - व्यस्क स्वयं के लिए या किसी अव्यस्क की ओर से या किसी अव्यस्क के लिए । - जमा राशि आयकर की धारा 80-सी के अन्तर्गत कर योग्य आय में से कटौती के योग्य होगी । अर्जित वार्षिक ब्याज भी आयकर अधिनियम की धारा 80-सी के अन्तर्गत कटौती योग्य है ।